तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री सुरेश कुमार, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1 व 2

निर्णय
दिनांक 29.07.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बगड स्थित आराजी खसरा नम्बर 777, 778, 944, 943/1477/1, 943/1478/1/1 एवं 944/1486 कुल किता–6 कुल रकबा 35बीघा 19बिस्वा भूमि की खातेदारी आत्माराम गुरू भगवानदास जाति स्वामी दादुपंथी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। खातेदार की मृत्यु उपरान्त सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–1597 दिनांक 03–12–1993 से उक्त विवादित आराजी प्रार्थी महामण्डलेश्वर आत्माराम चेला भूराराम दत्तक चेला वैद्य आत्माराम जाति दादूपंथी स्वामी के नाम विरासतन दर्ज किया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने वर्ष 2004 में अपर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–09–2005 स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, झुंझुंनू को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–09–2006 से खारिज कर दी। इन्हीं निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रार्थी आत्माराम का देहान्त हो जाने पर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् कायममुकाम दिनांक 24–01–2018 को मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–06–2016 से स्वीकार कर मृतक आत्माराम प्रार्थी के स्थान पर अर्जुनदास स्वामी (प्राकृतिक पुत्र किस्तूरदास स्वामी) चेला आत्माराम स्वामी को पक्षकार संयोजित किया गया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील 08वर्ष पश्चात् स्पष्टतयाः मियाद बाहर पेश की गयी थी तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र ही पेश नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने योग्य थी किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर अपना कोई स्पष्ट अभिमत व्यक्त किये बिना एवं मियाद के प्रश्न का निर्धारण किये बिना अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 को विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं था, ना ही वे विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण से व्यथित पक्षकार थे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण को विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। उनका कथन है कि विवादित आराजी सार्वजनिक भूमि नहीं है बल्कि प्रार्थी व उसके पूर्व गुरूजनों की निजी खातेदारी की भूमि है, जिस पर किसी प्रकार के कोई सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्य सम्पादित नहीं होते है। ना ही विवादित आराजी पर कोई सार्वजनिक शमशान है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के मूल खातेदार की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जिसकी वैधता का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। उनका कथन है कि अप्रार्थी प्यारेलाल व अन्य की ओर से विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना मानते हुए घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या–1 झुझुनू के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–09–2012 से खारिज कर दिया गया है। उनका कथन है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने मृतक खातेदार की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी का नामान्तरकरण नियमानुसार तस्दीक किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किया जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, झुंझुनू द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1597 दिनांक 03–12–1993 को यथावत रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2012 आरएलडब्ल्यू I राज. पेज 583 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है, जिसमें एक सार्वजनिक कुंआ, गून मय खेल कोटा के बना हुआ है, जो सैकडों वर्ष पुराना है तथा विशाल पेड लगे हुए है, जो मोहल्ले वालों द्वारा लगाये गये है। साथ ही विवादित आराजी के उत्तरी हिस्से में बालाजी तथा शिव मन्दिर सैकडों वर्ष पुराना बना है। उनका कथन है कि विवादित आरजाी मे शमशान की भूमि भी है तथ बगीची व साधु सन्तों की समाधियां बनी है। उनका कथन है कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयेाग की भूमि होने से किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती। उनका कथन है कि स्वर्गीय आत्माराम चेला भगवानदास अविवाहित थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया, ना ही चेला बनाया तथा ना ही जमीन के सम्बन्ध में वसीयत की गयी। उनका कथन है कि विवादित नामान्तरकरण शपथपत्र व वसीयतनामा के आधार पर तस्दीक करना बताया है जबकि वसीयत कब व किसके द्वारा की गयी, किस प्रकार प्रमाणित हुई, आदि बाबत् कोई जांच नहीं की गयी ना ही आदेश में कोई उल्लेख है। शपथपत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1980 एआईआर एससी पेज 419 एवं 1999 आरबीजे (6) पेज 221 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी दिनांक 18–11–2013 के साथ प्रस्तुत अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या–1 झुझुनू द्वारा दीवानी वाद संख्या 25/2009 बउनवानी प्यारेलाल वगैरा बनाम आत्माराम वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 19–9–2012 विवादित आराजी से सम्बन्धित होने के कारण रिकार्ड पर लिया जाना उचित समझते है। इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी दिनांक 31–3–2014 के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविलि प्रथम अपील नम्बर 732/2012 में पारित आदेश दिनांक 04–04–2013 को रिकार्ड पर लिया जाना उचित समझते है। तद्नुसार दोनों प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत निर्णय/आदेश को रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना मानते हुए अप्रार्थी संख्या–1 प्यारेलाल व अन्य की ओर से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या–1 झुझुनू के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 19–09–2012 से विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना नहीं मानते हुए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी प्यारेलाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल प्रथम अपील संख्या 732/2012 प्रस्तुत की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2013 से विवादित सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। इस स्थगन के आधार पर विरासत के नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही यथा वर्तमान निगरानी को लम्बित रखने का कोई औचित नहीं है, ना ही माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण को निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बगड स्थित आराजी खसरा नम्बर 777, 778, 944, 943/1477/1, 943/1478/1/1 एवं 944/1486 कुल किता–6 कुल रकबा 35बीघा 19बिस्वा भूमि का खातेदार स्वर्गीय भगवानदास स्वामी था, जिसकी मृत्यु उपरान्त विवादित भूमि की खातेदारी उसके चेला वैद्य आत्माराम स्वामी गुरू भगवानदास जाति स्वामी दादुपंथी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तत्पश्चात् खातेदार वैद्य आत्माराम स्वामी की मृत्यु दिनांक 24–09–1993 को हो जाने के उपरान्त महामण्डेश्वर आत्मा राम चेला स्वर्गीय भूराराम दत्तक चेला वैद्या स्वर्गीय आत्मा की ओर से दिनांक 18–11–1993 को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, झुंझुंनू के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी का नामान्तरकरण उसके स्वयं के नाम स्वीकृत कराने का अनुतोष चाहा, जिसके साथ मृत्यु प्रमाणपत्र,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वयं का शपथपत्र, नगर पालिका, बगड का प्रमाणपत्र दिनांक 21–10–1993 बाबत् स्वर्गीय आत्माराम स्वामी के वारिस गद्दीनसीन श्री महामण्डलेश्वर आत्माराम स्वामी होने का तथा मृतक खातेदार द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 2–12–1966, जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 2–12–1969 को प्रमाणित किया, की प्रतियां प्रस्तुत की गयी। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित से रिपोर्ट तलब की। तत्पश्चात् बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृति के आदेश पारित किये, जिसके अनुसरण में विवादित नामान्तरकरण संख्या 1597 दिनांक 03–12–1993 को महामण्डेलश्वर आत्माराम चेला भूराराम दत्तक चेला वैद्य आत्माराम जाति दादूपंथी स्वामी के नाम तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या–14 में विरासत का अंकन है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से दादूपंथी सम्प्रदाय के गुरूओं की खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत की जांच नही किये जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में नगरपालिका, बगड के अधिशाषी अधिकारी द्वारा कमांक 831 दिनांक 21–10–1993 को जारी प्रमाणपत्र अनुसार स्वर्गीय आत्माराम स्वामी के वारिस गद्दीनसीन श्री महामण्डलेश्वर आत्माराम स्वामी होने का अंकन है, जो बाद जांच जारी किया गया। इसके अतिरिक्त भी मृतक प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में मृतक खातेदार का चेला व उत्तराधिकारी होना अंकित किया है। सम्प्रदाय विशेष में गुरू की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तकरण चेले के नाम तस्दीक किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में गुरू की मृत्यु उपरान्त गद्दीनसीन होने, दत्तक चेला होने एवं गुरू द्वारा निष्पादित वसीयतनामा आदि के आधार पर विरासत का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तरकण तस्दीक किया गया है, केवल मात्र वसीयतनामा के आधार पर उक्त तथाकथित नामान्तरकण संख्या–1597 स्वीकृत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयत की पृथक से जांच किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

प्रस्तुत प्रकरण में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–12–1993 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–1597 दिनांक 3–12–1993 के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–11–2001 को अर्थात् लगभग चार वर्ष की अवधि उपरान्त प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल मात्र अपील मीमों के पैरा संख्या–14 में विलम्ब के कारणों का उल्लेख किया गया है। साथ ही अपील के साथ धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति चाही गयी। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दू का निस्तारण किये बिना अपील को स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ तहसीलदार, झुंझुंनू को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस बाबत् निम्न विधिक प्रश्न कायम किये जाते है–

1. क्या धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को निर्णीत किये बिना तृतीय पक्ष की अपील का निस्तारण किया जाना विधिसम्मत् है ?

2. मियाद अधिनियम की धारा 5 के बिन्दू को निर्णीत किये बिना क्या सीधे अपील के गुणावगुण पर विचार किया जा सकता है ?

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुंझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। उनको यह स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए था कि क्या अपीलार्थीगण अप्रार्थीगण उक्त नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार है? यदि हां तो किस प्रकार? प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी प्रार्थी के गुरूओं की खातेदारी की भूमि है, गुरू की मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण से विवादित आराजी चेले की खातेदारी में दर्ज की गयी है। इस प्रकार विवादित आराजी में अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 का कोई स्वत्व व अधिकार प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक विवादित आराजी के सार्वजनिक हित की भूमि होने का प्रश्न है, विपक्षी पक्षकार द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी सार्वजनिक हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण विवादित आराजी के विरासत के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार होना नहीं माना जा सकता? द्वितीय उन्होंने प्रथम अपील में विवादित नामान्तरकरण को निरस्त करने के अलावा कोई राहत अपने लिये नहीं मांगी। राहत के अभाव में अपील संधारण योग्य नहीं मानी जा सकती है। इसी आशय का सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित है। इसी प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद के बिन्दू का निर्धारण किये बिना अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि मियाद के बिन्दू का निर्धारण किये बिना तथा धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण किये बिना गुणावगुण पर पारित निर्णय विधिक रूप होता है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी सार्वजनिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./8622/2006/झुझुंनू आत्मा राम बनाम प्यारेलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपयोग व उपभोग की भूमि नही होकर दादू पंथी संम्प्रदाय के गुरूओं की खातेदारी की भूमि है। खातेदार की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, झुझुनूं द्वारा नियमानुसार स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण पूर्णरूपेण चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त उल्लेखित अभिमत के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2006 एवं अपर जिला कलक्टर, झुझुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–9–2005 निरस्त किया जाता है तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 3–12–1993 एवं स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1597 दिनांक 3–12–1993 बहाल रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य